रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-195/2018/4072/22-2-2017-17(804)/2017
लखनऊ:दिनांक: 26 फरवरी, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, बुलन्दशहर** की सिद्वदोष महिला **बन्दी श्रीमती कृष्णा (बन्दी संख्या-419/11) पत्नी श्री विशम्बर, निवासी-ग्राम-कमौना, थाना-छतारी, जिला-बुलन्दशहर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-953/1997** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 20-09-2011** को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-17, बुलन्दशहर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त महिला बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-195/2018/4072(1)/22-2-2017 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ।
4-अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in